



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 11.03.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 02 मामलों में कुल 05 अभियुक्तों को कारावास व अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 02 मामलों में कुल 05 अभियुक्तों को कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-03/12 धारा 135 विद्युत अधिनियम के अभियुक्त कृष्णगोपाल पुत्र कन्हैयालाल निवासी माहेश्वरी देवी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को 01 वर्ष 15 दिन के कारावास व 10000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना तिंदवारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-60/09 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्त 1. महेन्द्र 2. शेखर 3. सुरेन्द्र 4.रमेश पुत्रगण रामआसरे निवासी ग्राम अरसौडा थाना तिंदवारी जनपद बांदा को कुल 12000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया